

B.Com-III
18.07.2020

Taxation & Law account.

By, Sujat Ka. Suman
R.N. college
Haji pur

Unit- 5. Income from House-property.

(1.) मकान-सम्पत्ति से आय की गणना करते समय वगज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा है:

Deduction for other expenses except interest in the computation of income from House-property is allowable to the extent of:

- (a.) 1/5 वार्षिक मूल्य का भाग (1/5 of Annual value)
- (b.) 1/4 वार्षिक मूल्य का भाग (1/4 of Annual value)
- (c.) वार्षिक मूल्य का 30% (30% of Annual value)
- (d.) प्राप्त किराये का 1/4 भाग (1/4 of rent received)

Ans → (c) - वार्षिक मूल्य का 30%.

(2.) सुरेश ने मई 2007 में ऋण लेकर स्वयं के रहने का मकान खरीदा। उस वर्ष 2008-09 में ऋण पर 1,60,000 ₹ वगज दिया। मकान-सम्पत्ति से आय की गणना करने में कटौती योग्य राशि है।

Suresh purchased a house for his residential purposes after taking a loan in May, 2007. During P.Y. 2008-09 he paid interest on loan Rs. 1,60,000. In computing Income from House property the deduction is allowable to the extent of:

- (a.) Rs. 1,60,000 (b.) Rs. 1,00,000 (c.) Rs. 75,000 (d.) Rs. 1,50,000

Ans → (d) Rs. 1,50,000

3. भवन निर्माण से पूर्व ऋण पर भुगतान की गई वगज की राशि कटौती के लिए अनुमत्त है:

Interest on loan paid prior to completion of construction of house shall be allowed as deduction:

- (a.) In 2 installments for 2 Years (2 वर्षों में 2 किलों में)
- (b.) In 3 installments for 3 Years (3 वर्षों में 3 किलों में)
- (c.) In 4 installments for 4 Years (4 वर्षों में 4 किलों में)
- (d.) In 5 installments for 5 Years (5 वर्षों में 5 किलों में)

Ans → (d) - 5 वर्षों में 5 किलों में

4. स्वयं के रहने के मकान के नवीकरण हेतु जन वर्ष 2008-09 में लिए गए ऋण पर 1,20,000 रु व्याज दिया। मकान - सम्पत्ति से आय की गणना करने में कौत्सी योग्य राशि है:

Interest paid Rs. 1,20,000 on loan taken in P.Y. 2008-09 for renovation of self-occupied house. In computing Income from House property, the deduction is allowable to the extent of:

- (a.) Rs. 1,20,000 (b.) Rs. 1,00,000 (c.) Rs. 30,000 (d.) Nil
- Ans → (c.) → 30,000

5. धारा 23(2)(b) में वर्णित शाली रही मकान - सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य होगा:

Annual value of the vacant house property referred to in sec. 23(2)(b) shall be.

- (a.) Municipal value (नगरपालिका मूल्य) (c.) Nil (शून्य)
 (b.) Fair rent (उचित किराया) (d.) Standard rent (मानक किराया)
- Ans → (c) - शून्य

6. आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है:

For income-tax purposes, the house means:

- (a.) Dwelling House (b.) Building for office use
 रहने का मकान कार्यालय प्रयोग हेतु बना
 (c.) Godown (d.) Above all are included in house
 गोदाम मकान में उपर्युक्त सभी सम्मिलित हैं।

Ans → (d) मकान में उपर्युक्त सभी सम्मिलित हैं

7. किराए पर उधार गए मकान के संबंध में व्याज को दोड़कर अन्य व्ययों के लिए कौत्सी है।

The deduction for expenses of the rented house except interest on loan is _____

वार्षिक मूल्य का 30%.

- (8.) मकान पर नगरपालिका को दिया गया कर _____ कहलाता है।
 Tax paid on house to municipality is called is _____
 संपत्ति कर (House tax)